प्रेषक,

शिवराज कुमार यादव,
संयुक्त सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ::दिनांक: 16 मार्च, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक 4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय (आयोजनेत्तर-मतदेय)-80-सामान्य-800-अन्यव्यय-04-01- खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान की योजना" के अन्तर्गत मानक मद "26-मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयत्र में आवंटित धनराशि रू0 1.00 लाख का व्यय की शासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-150/बजट/2021-22, दिनांकः 09.02.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त के संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान संख्या-10 के "लेखाशीर्षक 4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय (आयोजनेत्तर-मतदेय)-80-सामान्य-800-अन्यव्यय-04-01-खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान की योजना" के अन्तर्गत मानक मद "26-मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयत्र में आवंटित धनराशि रू0 1.00 लाख, जो शासनादेश संख्या-90/2021/298/58-2-2021-300(2)/2021, दिनांकः 11.05.2021 द्वारा स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखी जा चुकी है, के सापेक्ष खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान के माइक्रोबायोलोजी अनुभाग (सूक्ष्म जीव विज्ञान अनुभाग) द्वारा "डिजिटल बायनोकुलर कंम्पाउंड माइक्रोस्कोप" विद् एसेसरीज क्रय किए जाने हेतु एवं धनराशि रू0-99120/-(निन्यानबे हजार एक सौ बीस मात्र) की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

S.No.	ITEM DESCRIPTION All price according to manufacturer price list	QTY	Unit Price (Rs.)	Discount	Taxable Value	GST		Total Amount (Rs.)
						%	Amount	
1	CSU 2500 Series Advances Binocular Research Microscope catalyst Biotech make	01	47500	0.00	47500	18	8550	56050
2	Cat cam Eseries cc-300 model	01	36500	0.00	36500	18	6570	43070
Total Rs.					**84000**	**18**	**15120**	**99120**

(1) शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिये भारत साकार द्वारा विकसित जेम व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में राज्य सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 द्वारा शासनादेश दिनांक-23.08.2017 निर्गत है। अतः आप द्वारा उपर्युक्त उपकरण के क्रय के संबंध में उक्त शासनादेश दिनांक-23.08.2017 में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर लेंगे।

(2) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

.....2/-

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान संख्या-10 के ''लेखाशीर्षक 4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय (आयोजनेत्तर-मतदेय)-80-सामान्य-800-अन्यव्यय-04-01-खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान की योजना'' के अन्तर्गत मानक मद ''26-मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयत्र के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-03-दस-2021-2022 दिनांक-14.02.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-45/2022/56(1)/58-2-2022, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, प्रयागराज ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in